

डॉ. एस. सिद्धार्थ, भा.प्र.से.

प्रधान सचिव
वित्त विभाग
बिहार सरकार

पुराना सचिवालय, पटना - 800 015
फोन : +91-612-2215805 (कार्या.)
फैक्स : +91-612-2217694
ई-मेल : finsecy-bih@nic.in

AS (5/19)

पत्र सं०-एम-4-40/2006.. 7609

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी आरक्षी अधीक्षक,
सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार पटना ।

पटना-15, दिनांक 17-9-2019

विषय:- माह सितम्बर, 2019 के वेतन भुगतान के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि कर्म अशुभप्रतिष्ठित एवं राजपत्रित पदाधिकारियों, जिनके वेतन की निकासी स्थापना विपत्र से की जा रही है, को संबंधित माह के अंतिम कार्य दिवस को (माह नार्च के वेतन को छोड़कर) मासिक वेतन का भुगतान अनुमान्य है। स्वतः निकासी के लिए सक्षम पदाधिकारी के वेतन की निकासी भी अगले माह की प्रथम तिथि को अनुमान्य होगी है ।

2. दुर्गापूजा को ध्यान में रखते हुए पूर्ण विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को माह सितम्बर, 2019 के वेतन का भुगतान दिनांक 25.09.2019 के करने का निर्णय लिया गया है । यह निर्णय बिहार कोषागार अधिनियम 2011 के नियम 141 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत लिया गया है ।

3. सी०एफ०एम०एस० प्रणाली अंतर्गत माह सितम्बर, 2019 के वेतन की निकासी दिनांक 25.09.2019 से किये जाने की प्रक्रिया के क्रम में निम्नलिखित रूप से पदाधिकारियों/कर्मियों का डाटा ई-विलिंग मेकर के लॉगिन में प्रदर्शित होगा:-

(i) जिन पदाधिकारियों/कर्मियों के माह जुलाई, 2019 या अगस्त, 2019 तक का वेतन भेल चुका है, उनके ऑफिस में ई-विलिंग मेकर के लॉगिन में उनसे संबंधित कॉलम में माह जुलाई, 2019 का लिये गये वेतन का विवरण दिखेगा ।

(ii) सी०एफ०एम०एस० प्रणाली अंतर्गत अभी तक जिन पदाधिकारियों/कर्मियों के वेतन की निकासी जुलाई, 2019 में नहीं हुई है, उन पदाधिकारियों/कर्मियों का डाटा Employec Maintenance में किये गये प्रविष्टि के अनुसार परिलक्षित होगा, जिसके अनुसार माह सितम्बर, 2019 के वेतन की निकासी की जायेगी ।

माह सितम्बर, 2019 के वेतन की निकासी हेतु मेकर द्वारा उपरोक्त (i) एवं (ii) में प्रदर्शित विवरण में आवश्यकतानुसार रूपांतरण किया जा सकेगा । यह बिल का Claims पूर्ण रूप से Editable होगा जिसके संबंध में वित्त विभागीय पत्रांक 6792 दिनांक 19.08.2019 के द्वारा विस्तृत मार्ग दर्शन दिया जा चुका है ।

(2)
11/11/2019

अतः अवगत है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये कर्मचारियों के अनुपस्थिति में अधिकारियों एवं कर्मियों को माह सितम्बर, 2019 के वेतन का भुगतान की अग्रिम तैयारी जाय एवं दिनांक 25.09.2019 से निश्चित रूप से वेतन का भुगतान कर दिया जाय।

विश्यासभाजन,

(डॉ० एस० सिद्धार्थ)

प्रधान सचिव

सं-एम-4-40/2006...7607...../वि०,

पटना-15, दिनांक...17-9-19

प्रतिलिपि:- माननीय के प्रधान सचिव/सचिव, बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद्/संबंधक, पटना उच्च न्यायालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(डॉ० एस० सिद्धार्थ)

प्रधान सचिव

सं-एम-4-40/2006...7607...../वि०;

पटना-15; दिनांक...17-9-19

प्रतिलिपि:- महानिरीक्षक, बिहार, दीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ० एस० सिद्धार्थ)

प्रधान सचिव

सं-एम-4-40/2006...7607...../वि०;

पटना-15, दिनांक...17-9-19

प्रतिलिपि:- मुख्य महासंबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, दक्षिणी गौंधी मैदान, पटना को सूचना एवं कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डॉ० एस० सिद्धार्थ)

प्रधान सचिव

सं-एम-4-40/2006...7607...../वि०, पटना-15, दिनांक...17-9-19

प्रतिलिपि:- मुख्य महासंबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य कार्यालय दक्षिणी गौंधी मैदान, पटना सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि कृपया अपने स्तर से सरकारी कारोबार कर रहे सभी शाखाओं को निदेश निर्गत किया जाए कि वे दिनांक 25.09.2019 तक जमा की निकासी की व्यवस्था करें।

(डॉ० एस० सिद्धार्थ)

प्रधान सचिव

सं-एम-4-40/2006...7609...../वि०, पटना-15, दिनांक...17-9-19

प्रतिलिपि:- माननीय वित्त मंत्री, बिहार के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, वित्त के प्रधान आप्त सचिव (व्यय/संसाधन) के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ० एस० सिद्धार्थ)

प्रधान सचिव

सं-एम-4-40/2006...7609...../वि०, पटना-15, दिनांक...17-9-19

प्रतिलिपि:- सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को वित्त विभाग, बिहार के ईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(डॉ० एस० सिद्धार्थ)


प्रधान सचिव

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

ज्ञापांक-5/बजट 01-01/2019 -सा0-13364/दिनांक- 25.9.19

प्रतिलिपि:-सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सचिव, बिहार, लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना/सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना/सचिव, तकनीकी सेवा आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना/सचिव, स्थानिक आयुक्त, बिहार, भवन, चाणक्यपुरी, 5 कौटिल्य मार्ग नई दिल्ली-21/सचिव, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना/अवर सचिव (लेखा), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सचिव, उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग, पटना/सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, पटना/सचिव, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, पटना/सचिव, राज्य महादलित आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनु0:-वित्त विभाग के पत्रांक-7609 दिनांक 17.09.19
के साथ सहित।



(राम बिशुन राय)
सरकार के अवर सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग